उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद(यूकॉस्ट)
सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग (उत्तराखण्ड शासन)
विज्ञान धाम, झाजरा, देहरादून – 248015

खुली निविदा संख्याः– 02 /2024–25/25834
दिनांक : 20 जून, 2024

निविदा सूचना

उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट), देहरादून द्वारा परिषद की ओर से श्रम न्यायालयों, स्थानीय न्यायालयों और माननीय उच्च न्यायालय में आयकर एवं जी.एस.टी. (GST) सम्बन्धी मामलों, श्रम सम्बन्धी मामलों, सिविल (Civil) अदालतों सम्बन्धी मामलों एवं सेवा सम्बन्धी मामलों (Service Matter) में विशेषज्ञता रखने वाले ऐडवोकेट्सों को पैनल में शामिल करने (for empanelment) हेतु सक्षम, अनुभवी एवं प्रतिष्ठित ऐडवोकेट्सों से दिनांक 09 जुलाई, 2024 को पूर्वाह्न में 11:00 बजे तक प्रस्ताव आमान्त्रित किये जाते हैं। सम्बन्धित विस्तृत निविदा सूचना परिषद (यूकॉस्ट) की वेबसाइट www.ucost.uk.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक ऐडवोकेट विस्तृत निविदा सूचना को उक्त वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

महानिदेशक, यूकॉस्ट को किसी भी अथवा समस्त प्रस्ताओं को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

प्रभारी–प्रशासन

उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद(यूकॉस्ट)
सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग (उत्तराखण्ड शासन)
विज्ञान धाम, झाजरा, देहरादून – 248015

खुली निविदा संख्याः– 02/2024–25/25834
दिनांक :20 जून, 2024

निविदा सूचना

उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट), देहरादून द्वारा परिषद की ओर से श्रम न्यायालयों, स्थानीय न्यायालयों और माननीय उच्च न्यायालय में आयकर एवं जी.एस.टी. (GST) सम्बन्धी मामलों, श्रम सम्बन्धी मामलों, सिविल (Civil) अदालतों सम्बन्धी मामलों एवं सेवा सम्बन्धी मामलों (Service Matter) में विशेषज्ञता रखने वाले सक्षम, अनुभवी एवं प्रतिष्ठित ऐडवोकेट्सों से निम्नवर्णित नियमों और शर्तों (terms & condition) पर 01 वर्ष की अवधि हेतु, जिसे आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है, मुहरबन्द प्रस्ताव आमन्त्रित किये जाते हैंः–

1. इच्छुक ऐडवोकेट के पास वांछित विशेषज्ञ सेवायें उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दक्षता होनी आवश्यक है। इस सम्बन्ध में प्रामाणिक दस्तावेज (जों) की **स्वप्रमाणित प्रतिलिपियाँ** प्रस्ताव के साथ संलग्न की जायें।

2. प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले ऐडवोकेट का पिछले 03 वित्तीय वर्षों, 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 के दौरान न्यूनतम औसत वार्षिक टर्न ओवर रू.10,00000 (रूपये दस लाख मात्र) होना चाहिये और टर्न ओवर की **चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियाँ** प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी चाहियें।

3. प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले ऐडवोकेट्स के पिछले 03 वित्तीय वर्षों, 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 के आयकर निर्धारण आदेशों/आयकर रिटर्न्स की **स्वप्रमाणित प्रतिलिपियाँ** प्रस्ताव के साथ संलग्न की जायें।

4. सरकारी विभागों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थानों को वांछित सेवायें उपलब्ध कराने का अनुभव रखने वाले ऐडवोकेट्स के प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जायेगी। सम्बन्धित अनुभव प्रमाणपत्रों की **स्वप्रमाणित प्रतिलिपियाँ** प्रस्ताव के साथ संलग्न की जायें।

5. कानूनी सेवाओं हेतु विशेषज्ञ क्षेत्रों में पैनल में शामिल ऐडवोकेट्स से वित्तीय प्रस्ताव बाद में आमन्त्रित किये जायेंगे।

6. प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले ऐडवोकेट द्वारा अपने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये जायें और हस्ताक्षार के नीचे मोहर लगायी जाय। प्रस्ताव सीलबन्द लिफाफे में जिसके ऊपर मोटे अक्षरों में **''(विशेषज्ञता क्षेत्र) सेवायें उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 09–07–2024 को खुलने वाला कानूनी प्रस्ताव''** लिखा जाय।

7. प्रस्ताव को रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से ही भेजा जाय। **अन्य किसी माध्यम से भेजे गये प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जायेगा।**

8. इच्छुक ऐडवोकेट द्वारा रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट से भेजा गया प्रस्ताव दिनॉक 09–07–2024 को पूर्वाह्न में 11:00 बजे तक पहुँच जाना चाहिये। प्राप्त प्रस्तावों को दिनॉक 09–07–2024 को ही अपराह्न में 03:00 बजे प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले ऐडवोकेट्स के उपस्थित प्रतिनिधियों के सामने खोला जायेंगा। किसी भी कारणवश उस दिन यूकॉस्ट में अवकाश होने पर प्रस्ताव अगले कार्यदिवस को अपराह्न में 03:00 बजे खोली जायेंगी।

9. देरी से प्राप्त या बिलम्बित प्रस्तावों (late or delayed proposals) पर विचार नहीं किया जायेगा। अतः इच्छुक ऐडवोकेट्स अपने प्रस्ताव समय पर भेजना/पहुंचना सुनिश्चित करें।

10. महानिदेशक, उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) को किसी भी अथवा समस्त प्रस्तावों को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

प्रभारी, प्रशासन